



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 443] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 1978/ आश्विन 4, 1900
No. 443] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 1978/ASVINA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a sep
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता संचालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1978

आवेश

निर्मात व्यापार नियंत्रण

का०आ० 574(अ)—सं०ई(सी) ओ० 1977/ए एस(72):—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम 1947(1947 का 18) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्मात (नियंत्रण) प्रकृतिस्वा संशोधन आदेश की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 के लिए अनुसूची 1 के भाग 'ख' में क्रम सं० 94 के सामने दिखाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“94—सर्प विष”

[मिसिल सं० 26/1/78-ई-2]

का० वे० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 26th September, 1978.

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 574 (E)—No. E(C)O, 1977/AM(72) :—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-eighth Amendment Order, 1978.
2. In Part 'B', Schedule 1, to the Exports (Control) Order, 1977, the existing entry appearing against S. No. 94 shall be substituted by the following :—
“94—Venom of Snakes”.

[File No. 26/1/78-EII]

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports